

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 908/2022

Fakhruddin Son of Shri Chand Khan, aged About 55 Years,
Resident of Bhiwdawas, Deoli, Tonk (Raj.)

-----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan through its Secretary, Department of Home, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. Shri Manish Tripathi, Superintendent of Police, S.P. office, Eidgah Road, Tonk, District Tonk (Raj.)

-----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Ghanshyam Sharma
For Respondent(s)	: Ms. Megha Sharma on behalf of Mr. Bhunesh Sharma, AAG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

26/02/2026

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी के माध्यम से थानाधिकारी पुलिस थाना देवली, जिला टोंक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट सिविल अवमानना याचिका संख्या 908/2022, दिनांकित 25.02.2026 प्रस्तुत की गई है और उक्त रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख आया है कि दोनों ही पक्षकारों को पाबंद किया हुआ है, मौके पर शांति है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अवमानना की कार्यवाही को आगे निरंतरता में जारी रखने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

अतः उक्त सिविल अवमानना याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है एवं याचिका से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, उक्त याचिका के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

अवमानना नोटिस उन्मुक्त किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J